

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

श्री किशोर कुमार पुत्र ताराराम घांची  
निवासी 74, टिम्बर मार्केट, समुरपेर, जिला  
पाली

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी)  
पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 77/2019  
R.C.M.S. No. --2019/00 164  
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/7/19	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 24/7/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p> <p>अपीलांत द्वारा यह अपील RTI Act की धारा 19(1) के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी (D.S.O.) पाली पाली से चांछित सूचना उपलब्ध कराते हेतु निर्देशित कराये।</p> <p>इस न्यायालय के जरिए पत्रांक 926-27 डि० 10-7-19 के लिखा जाते था मगर उन्के फांक - 247 डि० 17-7-2019 के अफगत कराया कि उन्के न्यायालय के पत्रांक 277 डि० 10-6-2019 के द्वारा अपीलाण्टी के अछित की जा चुकी है लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलाण्टी के सूचना उपलब्ध कर दिए जाते से वर्तमान में इस अपील के संदर्भ के किसी भी प्रकार की कार्यवाही कोशित नहीं शहजाली है।</p> <p>निहाय अपील अपीलाण्ट drop की जाती है।</p> <p>पत्रावली इस न्यायालय से शुमार कौतल की आफत नम्बर से कर दे।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>926-27 10.7.19</p>